REET 2025
LEVEL-2
ROJGAR With ANKIT
वंदन बैच
POLITY
मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद
LIVE
04-02-2025 12:00 PM

मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद

अनु. 163 → राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी

* राज्यपाल को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है।

अनु. 164 (1) मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है।

राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है।

→ राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रिपरिषद कि नियुक्ति करता है।

* 91वां संविधान संशोधन - 2003

→ अनु. 164(1-A) - मुख्यमंत्री को मिलाकर मंत्रिपरिषद की संख्या विधानसभा के कुल सीटों की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

Ex ⇒ राज. विधानसभा सीट = 200 का 15%

$$2\cancel{00} \times \frac{15}{1\cancel{00}} = 30$$

राजस्थान में अधिकतम मंत्री ⇒ 30

——— न्यूनतम मंत्री ⇒ 12 [PSI-2018, 2021]

अनु. 164(1-B) → 91 वां संविधान संशोधन 2003

→ दलबदल का अयोग्य व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता।

अनु. 164(2) सामुहिक उत्तरदायित्व

→ मंत्रिपरिषद सामुहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

* मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है।

अनु. 164(3) → शपथ

मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद को शपथ तीसरी अनुसूची के तहत राज्यपाल दिलायेगा

अनु. 164(4) - योग्यता → मंत्री विधानसभा का सदस्य होना चाहिए और यदि सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर-भीतर विधानसभा की सदस्यता लेनी अनिवार्य है अन्यथा मंत्री पद स्वतः रिक्त हो जायेगा।

अनु. 164(5) – मंत्रियों के वेतन भत्ते

विधानसभा मंत्रियों के वेतन भत्ते तय करेगी।

मुख्यमंत्री के कार्य

- → cm मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है।
- → cm मंत्रियों को विभागों का आवंटन करता है।
- cm राज्यपाल को बोलकर किसी भी मंत्री से त्यागपत्र ले सकता है।
- → यदि cm त्यागपत्र देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जायेगी

→ CM पूरी मंत्रिपरिषद में समन्वय बनाये रखता है।

→ राज्य की मंत्रिपरिषद में CM की केन्द्रीय भूमिका होती है।

* राजस्थान के मनोनित मुख्यमंत्री

(i) हिरालाल शास्त्री (1949-1951)
(ii) C.S. वैंकटाचारी (1951)
(iii) जयनारायण व्यास (1951-1952)

निर्वाचित मुख्यमंत्री

(i) टीकाराम पालीवाल [1952] → राज. के प्रथम निर्वाचित CM

(ii) जयनारायण व्यास [1952-1954] → एकमात्र CM जो मनोनित एवं निर्वाचित दोनो है।

(iii) मोहनलाल सुखाड़िया (1954-1971) – राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले CM

→ पहली बार राष्ट्रपति शासन इन्ही के कार्यकाल में लगा था - 1967

बरकतुल्ला खां — 1971-1973 → राजस्थान के एकमात्र CM जिनकी पद पर रहते निधन हुआ।

हरिदेव जोशी → 1973-1977 → राजस्थान में दूसरा राष्ट्रपति शासन (1973)

भैरो सिंह शेखावत

→ बाबोसा के नाम से जाना जाता है.

→ 1977-1980

→ प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री

→ तीसरा राष्ट्रपति शासन इन्ही के काल में लगा था।

→ 1980